कार्यालय निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संख्याः 195 / वै0स0 / नि0रो0नि0एवंप्र0 / 2022 दिनॉक 07.09.2022

उत्तर प्रदेश शासन, पशुधन अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–1736 /सैंतीस–2–2022 दिनॉक 07 सितम्बर, 2022 की छायाप्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. जिलाधिकारी, सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद, अलीगढ, आगरा, एवं बरेली मण्डल उत्तर प्रदेश।
2. विशेष सचिव, पशुधन, अनुभाग–3, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

07/9/22

(डा0 प्रमोद कुमार सिंह)
निदेशक
रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र

<u>LSD / महत्वपूर्ण</u>
<u>संख्या–1736 / सैंतीस–2–2022</u>

प्रेषक,
डॉ0 रजनीश दुबे,
अपर मुख्य सचिव,
पशुधन विभाग, उ0प्र0शासन।

सेवा में,
1. समस्त जिलाधिकारी,
सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद,
अलीगढ़, आगरा एवं बरेली मण्डल, उ0प्र0।
2. निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग, उ0प्र0।

पशुधन अनुभाग–2 लखनऊ :: दिनांक 07 सितम्बर, 2022

विषय–**Lumpy Skin Disease (LSD)** की प्रभावी रोकथाम के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि पश्चिमी उ0प्र0 के कई जनपदों में **LSD** का प्रभाव है एवं सर्वोच्च प्राथमिकता पर उक्त रोग का नियंत्रण किया जा रहा है। शासन द्वारा पूर्व में यह निर्देश दिये गये थे कि प्रत्येक जनपद में न्यूनतम तहसील स्तर पर एक डेडीकेटेड गो आश्रय स्थल बनाया जाय, जिसमें **LSD** प्रभावित पशुओं को रखकर उनका उपचार किया जाय। उक्त डेडीकेटेड गो आश्रय स्थल में 01 प्रशासनिक अधिकारी एवं 01 पशुचिकित्साधिकारी की उपस्थिति सुनिश्चित की जाय।

2. शासन के संज्ञान में आया है कि यद्यपि प्रत्येक जनपद में 02 से 06 गो आश्रय स्थल डेडीकेटेड गो आश्रय स्थल के रूप में चिन्हित तो किये गये हैं किन्तु **LSD** प्रभावित पशुओं को उक्त आश्रय स्थलों में स्थानान्तरित नहीं किया गया है। यह आपत्ति जनक है।

3. उक्त के अतिरिक्त यह भी सुनिश्चित किया जाय कि गो आश्रय स्थलों / गोशालाओं के **LSD** प्रभावित पशुओं को उसी परिसर में न रखते हुए डेडीकेटेड आश्रय स्थलों में रखकर उनका समुचित उपचार किया जाय और निदेशक द्वारा प्रेषित संशोधित प्रारूप पर नियमित सूचना उपलब्ध करायी जाय।

4. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
Signed by डा0 रजनीश दुबे
(डॉ0 रजनीश दुबे)
Date: 07-09-2022 10:55:38
अपर मुख्य सचिव।
Reason: Approved

<u>संख्या–1736(1) / सैंतीस–2–2022तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उ0प्र0
2– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(लुटावन राम)
विशेष सचिव।